न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री सर्वेश्वर निम्बार्क, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 33/2024

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

1. रावताराम पुत्र किरताराम 2. गेनाराम पुत्र किरताराम जातियान जाट निवासी सरणू हाल निवासी सोढो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा	1. किशोरसिंह पुत्र मूलसिंह 2. मलसिंह पुत्र मूलसिंह 3. मानसिंह पुत्र मूलसिंह जातियान राजपुरोहित निवासी सोढो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 4. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल सारण अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादी सं. 4 के पैरोकार उप.। शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 21.01.2026

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सणपा मानजी ग्राम सोढो की ढाणी के खसरा संख्या 496/335 रकबा 12.8874 हैक्टेयर तहसील सिणधरी जिला बाालोतरा की भूमि के संबंध मे प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 06.11.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादीगण अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा–खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सणपा मानजी ग्राम सोढो की ढाणी के खसरा संख्या 496/335 रकबा 12.8874 हैक्टेयर तहसील सिणधरी जिला बाालोतरा भूमि के संबंध मे विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

. सं .	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान	बरंग
1	रावताराम हि. 1/2 गेनाराम हि. 1/2 पि. किरताराम जाति जाट सा. सरणू तह. बालोतरा	सोढो की ढाणी	496/335	4.2958	बा.सोयम	0.39	हरा
2	किशोरसिंह हि. 1/4 मलसिंह हि. 1/4 मानसिंह हि. 1/2 पि. मूलसिंह जाति राजपुरोहित सा. सोढो की ढाणी	सोढो की ढाणी	496/335	8.5916	बा. सोयम	0.77	गुलाबी

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में वत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा । । पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 21.01.2026 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी